न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2017 पुनरीक्षण R 912-II-17

श्री मुकेश भारती द्वारा आज दि. 17.3.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्यामवती पत्नी जगदीश प्रसाद ब्रा.
निवासी ग्राम खडौरा तहसील देवसर
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

.... आवेदिका

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन
2. वेदान्ती प्रसाद ब्रा. पिता नारदमुनि ब्रा. निवासी ग्राम खड़ौरा तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र.)

...... आपत्तिकर्ता / अनावेदकगण

मुकेश भारती 17-3-17 एडवोकेट ग्वालियर

<u>न्यायालय नायब तहसीलदार प्रभारी क्षेत्र गिर्द तहसील देवसर द्वारा प्र.कं. 9/अ–74/16–17 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदिका का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, ग्राम लिलहरा तहसील देवसर में स्थित शासकीय भूमि ख.कं. 1 रकवा 1.20 ए. भूमि का पटटा तहसीलदार तहसील देवसर ने प्र.कं. 27/1959 X 60 में पारित आदेश दिनांक 14.3.60 द्वारा आवेदिका के पक्ष में भूमिस्वामी स्वत्व में प्रदान किया गया था। जिसकी इत्तलावी राजस्व अभिलेखों में नहीं हो पाई थी। आवेदिका ने उक्त आदेश की इत्तलावी कराने वास्ते आवेदन पत्र पुनः सहायक बंदोवस्तअधिकारी सिंगरौली देवसर दल कं.

(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 912/II/17 (सिंगरौली) रघुनाथ वर्मा / शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 29/8/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी [illegible] के प्रकरण क्रमांक 09/अ-74/16-17 में पारित आदेश दिनांक 16/01/17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 6/2/19 सदस्य	